

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड  
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 2713 / २०ख०लॉ० / ई०नी० / वि०का०ज्ञ० / भू०खनि०नि० / 2023-24


दिनांक 28 अगस्त, 2023

संशोधित विज्ञापितकरण कार्यालय ज्ञाप

औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) नियमावली 2023 के अध्याय-4 नियम-20 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जनपदों के नदीतल राजस्व क्षेत्रों में उपनियम (4) के अनुसार गठित समिति द्वारा जनपदवार चिन्हित रिक्त उपखनिज क्षेत्रों/लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वारा उपनियम (2) में निर्धारित अवधि के लिए खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या 2563/२०ख०लॉ०/ई०नी०/वि०का०ज्ञ०/ भू०खनि०ई०/2023-24 दिनांक 22 अगस्त, 2023 के द्वारा विज्ञापित किये जाने की घोषणा की गयी है। जिला खान अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के पत्र संख्या 341/खनन/पौ०ग०/2023-24, दिनांक 23 अगस्त, 2023 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के क्रम में उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित जनपद पौड़ी गढ़वाल की उपखनिज की मात्रा को संशोधित करते हुये निम्नवत विज्ञापित किये जाने की घोषणा की जाती है:-

जनपद- पौड़ी गढ़वाल								
क्र० सं०	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
1.	सतपुली	मंगोलीगांव व नैणी गांव	नयार	खसरा नं० 1 रक्वा 0.126 मध्ये 0.050 है० तथा खसरा नं० 02 कुल रक्वा 8.721 है० मध्ये 0.520 है० तथा नैणी गांव के खसरा नं० 1516 कुल रक्वा 0.628 मध्ये 0.450 है० कुल रक्वा 1.020 है०, श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि	1.020	राजस्व	36720	आर०बी०एम०
2.	सतपुली	चौमासूधार	नयार	श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि के खाता संख्या 13 खसरा नं० 817 मध्ये 0.702 है० नॉन जेड ए० खतौनी	0.702	राजस्व	25272	आर०बी०एम०
3.	सतपुली	चमोलीसैण	नयार	खतौनी खाता संख्या 05 श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि खसरा नं० 02 मध्ये 0.300 है० तथा खसरा नं० 841 मध्ये 0.700 है० कुल 1.00 है०, नॉन० जेड० ए०	1.000	राजस्व	36000	आर०बी०एम०
4.	सतपुली	सतपुलीसैण व उखलेत	नयार	ग्राम सतपुलीसैण के खसरा संख्या 132 मध्ये 0.576 है० व ग्राम उखलेत के खसरा सं० 1080 मध्ये रक्वा 0.528 है० कुल 1.104 है० श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि	1.104	राजस्व	39744	आर०बी०एम०


उपरोक्तानुसार घोषित रिक्त क्षेत्रों/लॉटों से उपखनिजों के खनन/चुगान हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। कार्यालय ज्ञाप संख्या 2563/र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0 /भू0खनि0ई0/2023-24 दिनांक 22 अगस्त, 2023 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

  
(एस0 एल0 पैट्रिक)  
निदेशक  
व/

संख्या: 2713 /र0ख0लॉ0/ई0नी0/वि0का0ज्ञ0/भू0खनि0नि0/2023-24 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, औद्योगिक विकास (खनन), उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
4. जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
5. नोडल अधिकारी, आई0टी0, भूतत्व एवं खनिकर्म को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गार्ड फाइल।

  
(एस0 एल0 पैट्रिक)  
निदेशक  
व/